

(ग) 1949-50 में इस रेलवे की कामदनी और खर्च इस प्रकार था :

(i) कुल कामदनी : 32,56,683 रुपये ।

(ii) कुल खर्च : 25,05,577 रुपये ।

मध्य रेलवे में ऊपरी पुल

2085. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में ट्रांसी और धौलपुर स्टेशनों के बीच डबरा मंडी, विड़ला नगर और मुरैना स्टेशनों के पास रेलवे फाटकों पर ऊपर पुल बनाने का काम अब प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(ख) इन ऊपर पुलों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० ए० पुनाचा) :

(क) और (ख) डबरा मंडी और विड़लानगर में वर्तमान समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव मिला तो रेल प्रशासन अपने खर्च पर ऊपरी/निचले सड़क पुल बनाने के लिए तैयार होगा बशर्ते राज्य सरकार इन योजनाओं का अनुमोदन करे और राज्य सरकार सड़क प्राधिकारी नियमों के अनुसार अपने खर्च पर सड़क के पहुँच मार्ग बनाने के लिए सहमत हों।

जहाँ तक मुरैना स्टेशन का सम्बन्ध है वर्तमान समपार के स्थान पर एक ऊपरी पुल बनाने के बारे में रेलवे ने 1965-66 में कार्यक्रम बनाया था। लेकिन मई, 1967 में, जब इस योजना के व्योरे के बारे में रेल प्रशासन और राज्य सरकार के बीच पत्र

व्यवहार चल ही रहा था कि राज्य सरकार ने रेल प्रशासन को सूचित किया कि ऊपरी सड़क पुल के बन जाने के बाद भी समपार की जरूरत बनी रहेगी और इसलिये ऊपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य को केवल राज्य सरकार को प्रसारित होने वाला निष्पत्त कार्य ही माना जाय। अब रेल प्रशासन द्वारा सौगंधित अनुमान तैयार किया जा रहा है और हमें राज्य सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। ज्यों ही योजना को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा और राज्य सरकार योजना पर जाने वाले प्रारम्भिक अनुमानित खर्च और आवर्ती खर्च के बारे में अपनी स्वीकृति दे देगी, रेल प्रशासन ऊपरी पुल का निर्माण शुरू कर देगा।

Identity-cum- Railway Pass for M.Ps.

2086. Shri S. C. Jha: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the M.Ps. holding the Identity-cum-Railway Passes have not to pay even any reservation fee of fifty paise;

(b) if so, whether it is a fact that Station Masters of some stations have not been specifically informed about it; and

(c) the facilities available to the M.Ps. in reservation i.e. whether at the twelfth hour an M.P. can be given preference by getting any previous reservations cancelled?

The Minister of Railways (Shri C. M. Pooncha): (a) No. Members of Parliament are required to pay the prescribed reservation fee.

(b) Does not arise.

(c) No. Members of Parliament who are placed on the waiting list are given preference over others in allotment of accommodation against the unutilised High Officials Requisition Quota, when they travel in connection with Parliamentary work.